कायालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमाकः– शिविरा–मा/शाला दर्पण/स्टार रेटिंग/2019/17 दिनांक :–03/01/2020.

कार्यालय आदेश

शासन उप सचिव–प्रथम, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक प.(16)शिक्षा–1/शाला दर्पण/2014 पार्ट–2 जयपुर दिनांक 09.12.2019 के अनुसार बोर्ड परीक्षा परिणाम के आधार पर राजकीय माध्यमिक /उच्च माध्यमिक विद्यालय को स्टार रेटिंग देने हेतु नवीन मापदण्ड निर्धारित किए गए है। विद्यालय की शैक्षिक उपलब्धियों के आकलन से विद्यालय के संचालन एवं सुधार एवं इस हेतु योजना बनाने एवं अन्य विद्यालयों की प्रतिस्पर्धात्मक तुलना हेतु शैक्षिक स्तर की जानकारी लेने में सहजता होती है। इसे ध्यान में रखते हुए राजकीय विद्यालयों के बोर्ड कक्षाओं (कक्षा 8, कक्षा 10 और कक्षा 12) के बोर्ड परीक्षा में प्रवेशित विद्यार्थियों, परीक्षा परिणाम तथा परीक्षा परिणाम में गुणवत्ता को आधार बनाते हुए स्टार रेटिंग तय की जाकर उसे शाला दर्पण पर प्रदर्शित किया गया था तथा विद्यालयों को भी ऑनलाईन उपलब्ध कराया गया था। इससे विद्यालय का वर्तमान स्तर जानना वरन् उसके सुधार हेतु आवश्यक उपाय करने में भी सहायता भी प्राप्त हुई।

स्टार रेटिंग निर्धारण में बोर्ड कक्षाओं के परीक्षा परिणाम प्रतिशत तथा परिणाम की गुणात्मक उपलब्धि को आधार बनाया गया था। परीक्षा परिणाम में गुणात्मक वृद्धि के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए स्टार रेटिंग निर्धारण में गुणात्मक परिणाम के भारांक को अधिक महत्व दिया जाना उचित है। अतः उक्तानुसार स्टार रेटिंग मानदण्ड में निम्नानुसार परिवर्तन किया गया है:–

1. **कक्षा दस के लिए निम्नलिखित तालिका अनुसार बदलाव किए गए है:–**

Star rating	Pass Percentage (No change)	First Division (updated)	विवि
5 Star schools	>90%	>40%	बोर्ड का परीक्षा परिणाम 90% से अधिक तथा प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 40% से अधिक हो
4 Star schools	>90%	=<40%	बोर्ड का परीक्षा परिणाम 90% से अधिक तथा प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 40% या कम हो
3 Star schools	60% to 90%	>40%	बोर्ड का परीक्षा परिणाम 60% से 90% तक तथा प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 40% से अधिक हो
2 Star schools	60% to 90%	=<40%	बोर्ड का परीक्षा परिणाम 60% से 90% तक तथा प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 40% या कम हो
1Star schools	<60%	-	बोर्ड का परीक्षा परिणाम 60% से कम हो

2. **कक्षा बारहवीं के लिए निम्नलिखित तालिका अनुसार बदलाव किए गए है:–**

Star rating	Pass Percentage (No change)	First Division (updated)	विवि
5 Star schools	>90%	>60%	बोर्ड का परीक्षा परिणाम 90% से अधिक तथा प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 60% से अधिक हो
4 Star schools	>90%	=<60%	बोर्ड का परीक्षा परिणाम 90% से अधिक तथा प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 60% या कम हो
3 Star schools	60% to 90%	>60%	बोर्ड का परीक्षा परिणाम 60% से 90% तक तथा प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 60% से अधिक हो
2 Star schools	60% to 90%	=<60%	बोर्ड का परीक्षा परिणाम 60% से 90% तक तथा प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 60% या कम हो
1Star schools	<60%	-	बोर्ड का परीक्षा परिणाम 60% से कम हो

3. **कक्षा आठवीं के परीक्षा परिणाम के आधार पर विद्यालयों को प्रदान स्टार रेटिंग के नियम पूर्वानुसार रहेंगे।**

अतः विद्यालयों को परीक्षा परिणाम के आधार पर स्टार रैटिंग का नवीन मानदण्ड सक्षम स्तर पर अनुमोदन पश्चात् लागू किया जाता है।

(हिमांशु गुप्ता)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमाकः– शिविरा–मा/शाला दर्पण/स्टार रेटिंग/2019/18-21 दिनांक :– 03/01/2020

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. उपनिदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, शिक्षा संकुल, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि एनआईसा जयपुर से सम्पर्क कर स्टार रेटिंग के नवीन मापदण्ड हेतु आगामी कार्यवाही सम्पन्न करवाये।
5. रक्षित पत्रावली

उपनिदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर